






आम जनता खोहरा कलां

बनाम

जयसिंह वगैरे

अन्तर्गत धारा: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अरथाई निषेधाज्ञा

प्रो सं०- 19/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2025	<p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री योगेश जाखड एड. उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जोव। अप्रार्थीगण की तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.08.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सैंथल </p>	<p>नॉरिसोपारी 894-99 28/7/25</p>
26/8/25	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आठता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 29/9/25 को पेश हो।</p>	
29/9/25	<p>आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आठता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 31/11/25 को पेश हो।</p>	<p>प्रवादी सिद्धे</p>
31/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपस्थित है। अज्ञात संख्या 3 स्वयं उपस्थित है। अज्ञात संख्या 1 लगाठ 3 वकील वारी अर्पण नागत एड. द्वारा वकालत नामा पेश किया, जमा मि. है। अज्ञात संख्या 1 लगाठ 3 वकील वारी से प्रयाव पेश करने पर अज्ञात 4 व 5 वकील लाफिल इतपल पत्रावली दिनांक 24/11/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सैंथल </p>	
24/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित है। वादी व वादी अधिवक्ता को न्यायालय में बार-बार रुक-रुककर आवाज दिलाई गई, परन्तु न्यायालय खगमय तक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 3 नियम 8 के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल सुनार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर कागज हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	<p>(वाकील वारी)</p>